

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1332/2015 ई0फौ0

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1332/2015

संस्थापित दिनांक 22/12/2015

फाइलिंग नं. 230303021292015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

1. रमासिंह उर्फ रामसिंह उर्फ रमाकांत सिंह गुर्जर पुत्र धीरसिंह गुर्जर
उम्र 22 वर्ष निवासी— वार्ड क्र0 5 जेल रोड़ गोहद जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279 एवं 338 भा0द0स0 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181।)
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य।)
(आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री बी0एस0 गुर्जर।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 12.03.2018 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 08.03.2015 को शाम लगभग 7:00 बजे बारह बीघा मंदिर के सामने गोहद रोड़ गोहद में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0एच0 7029 को बिना ड्राईविंग लाईसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए फरियादी केशव कुशवाह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर फरियादी केशव कुशवाह को चोट पहुंचाकर उसे अस्थि भंग कारित कर उसे गंभीर उपहति कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 279 एवं 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2015 को शाम के समय फरियादी केशव अपने घर से गोलम्बर तिराहे की तरफ सामान लेने जा रहा था तभी सामने से काले रंग की पल्सर मोटरसाईकिल को आरोपी रमासिंह तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया था और बारहबीघा मंदिर के सामने शाम 7:00 बजे उसकी मोटरसाईकिल में उसके हाथ की तरफ टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मोटरसाईकिल रोड़ के किनारे गिर पड़ी थी एवं गिरने से उसके दाहिने पैर की पिन्डली एवं बाये हाथ में चोट आई थी तथा खून निकला था, उसके हाथ के पंजे में फेक्चर हो गया था। टक्कर मारकर आरोपी रमासिंह गुर्जर गोहद चौराहे की तरफ भाग गया था। वह मोटरसाईकिल का नम्बर नहीं ले पाया था, मोटरसाईकिल काले रंग की पल्सर मोटरसाईकिल थी, मौके पर प्रवीण गुप्ता ने उसे उठाया था और उसे अस्पताल ले गये थे, जहां से उसे इलाज हेतु ग्वालियर भेज दिया गया था। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र0 83/15 अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया

गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी केशव कुशवाह द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0दं0सं0 की धारा 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0दं0सं0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 के अंतर्गत अपराध का विचारण शेष है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 08.03.2015 को शाम 7:00 बजे बारहबीघा मंदिर के सामने लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0एच0 7029 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या आरोपी के पास घटना दिनांक समय व स्थान पर मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0एच0 7029 को चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं थी ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी केशव अ0सा0 1, साक्षी प्रवीण अ0सा0 2 एवं प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। .

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी केशव अ0सा0 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया गया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से तीन वर्ष पहले की शाम सात आठ बजे की है। वह घर से गोलम्बर तिराहे की तरफ सामान लेने जा रहा था तभी एक गाडी ने आकर उसे टक्कर मार दी थी, जिससे उसके हाथ पैर घुटने व सिर में चोट आई थी, उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी, लेखीय आवेदन प्र0पी0 1 है जिस पर उसका निशानी अंगूठा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 2 एवं नक्शामौका प्र0पी0 3 है जिस पर उसका निशानी अंगूठा है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना वाले दिन आरोपी रामसिंह काले रंग की मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था एवं उसके हाथ की तरफ टक्कर मार दी थी, जिससे वह मोटरसाईकिल सहित गिर गया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा दुर्घटना कारित करने वाली व अपने लेखीय आवेदन प्र0पी0 1 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 2 में पुलिस को लिखाई थी।

10. साक्षी प्रवीण अ0सा0 2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे

3 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1332/2015 ई0फौ0

जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

11. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा0 3 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है।

12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी केशव अ0सा0 1 द्वारा अपने कथन में यह व्यक्त किया गया है कि घटना वाले दिन बारहबीघा वाले मंदिर के सामने एक गाड़ी ने आकर उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे उसे चोटें आई थी, उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी रमासिंह ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। इस प्रकार फरियादी केशव अ0सा0 1 ने अपने कथन में उसका एक्सीडेंट होना तो बताया है परन्तु यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी कौन सी थी एवं यह भी नहीं बताया है कि दुर्घटना कारित करने वाली गाड़ी का नम्बर क्या था एवं उसे कौन चला रहा था, यद्यपि प्र0पी0 1 के आवेदन एवं प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किये जाने का उल्लेख है परन्तु यह बात फरियादी केशव अ0सा0 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में नहीं बताई गई है। फरियादी केशव अ0सा0 1 द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने अपनी मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी थी। फरियादी केशव अ0सा0 1 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है, अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

14. साक्षी प्रवीण अ0सा0 2 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर भी उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है अतः उक्त साक्षी के कथनों से आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

15. प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन अ0सा0 3 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण का औपचारिक साक्षी है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य को देखते हुए उक्त साक्षी की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

16. जहां तक आरोपी द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेंस के मोटरसाईकिल चलाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आई साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को आरोपी आरोपित मोटरसाईकिल को चला रहा था, ऐसी स्थिति में यह भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि आरोपी ने आरोपित मोटरसाईकिल को बिना ड्राईविंग लाईसेंस के चलाया था।

17. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी केशव अ0सा0 1 एवं साक्षी प्रवीण अ0सा0 2 द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया गया है। प्रधान आरक्षक प्रमोद पावन प्रकरण का औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ने घटना दिनांक को बिना ड्राईविंग लाईसेंस के मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0एच0 7029 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

4 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1332/2015 ई0फौ0

18. यह अभियोजन का दायित्व है कि आरोपी के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करें यदि अभियोजन मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपी की दोषमुक्ति उचित है।

19. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.03.2018 को शाम लगभग 07:00 बारहबीघा मंदिर के सामने गोहद चौराहा रोड़ गोहद में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0एच0 7029 को बिना ड्राईविंग लाईसेंस के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी रमासिंह को साक्ष्य के अभाव में भा0दं0सं0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 03/181 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

20. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

21. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0 30 एम0एच0 7029 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुर्पुदगी पर है। अतः उसके संबंध में सुर्पुदगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 12.03.18

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित

कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)